बिहार राज्य खाद्य निगम, कार्यपालक सहायक संघर्ष समिति

पत्रांक:- 01/2015 दिनांक- 12/07/15

सेवा में,

16/7/2015

माननीय अध्यक्ष महोदय,
उच्च स्तरीय समिति (संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण हेतु)
बिहार, पटना।

विषय :— बिहार राज्य खाद्य निगम में कार्यरत कार्यपालक सहायकों को निगम के रिक्त पदों पर अधिमानता एवं प्राथमिकता देते हुए समायोजित करने हेतु अनुशंसा के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निवेदन पूर्वक कहना है कि बिहार राज्य खाद्य निगम के कार्यालयों में वर्ष— 2010 से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के जन शिकायत कोषांग के पत्रांक ज0शि0को0(मु0स0)—07/2007/556 दिनांक 19.2.2008 से प्राप्त निर्देशों के आलोक में निगम के मुख्यालय एवं जिला प्रबंधक के कार्यालयों में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पद पर संविदा पर नियोजन किया जाता रहा हैं। जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं डी0सी0ए0 निर्धारित थी बाद में प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फूड एन्ड सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के पत्रांक 5560, दिनांक 07.07.2011 के द्वारा भंडार निर्गमादेश तैयार करने हेतु कार्यालय सहायकों के स्वीकृत पद के विरूद्ध बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना के पत्रांक 13690 दिनांक 22.12.2009 एवं 309 दिनांक 20.05.2011 के आलोक में कार्यपालक सहायकों की विभिन्न जिलों में नियुक्ति की गई। इसके बाद 05.08.2011 एवं अन्य तिथियों को समाचार पत्र के माध्यम से स्नातक योग्यताधारी अभ्यार्थियों से सहायक प्रबंधक एवं सहायक लेखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया। योग्य आवेदक नहीं मिलने पर निगम के निदेशक परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय एवं विकास आयुक्त, बिहार सरकार के निर्देशानुसार निगम मुख्यालय के ज्ञापांक 8997, दिनांक 26.11.2011 एवं 9159 दिनांक 04.12.2011 द्वारा निगम के गोदामों एवं कार्यालयों में कार्यपालक सहायक —सह— गोदाम सहायक की नियुक्ति संविदा पर की गई।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 9624 दिनांक 07.12.2011 से प्राप्त निर्देशों के तहत् कार्यपालक सहायकों को धान अधिप्राप्ति के कार्यों में सहयोग हेतु प्रतिनियुक्त किया गया। निगम मुख्यालय के ज्ञापांक 8412 दिनांक 18.10.2012 के द्वारा कार्यपालक सहायकों से पी0डी0एस0 गोदाम के संचालन का कार्य निगम के स्थायी एवं वरीय सहायक प्रबंधकों के पर्यवेक्षण में कराने का निर्णय लिया गया। इसके बाद निगम के विभिन्न गोदामों में सहायक प्रबंधक के रिक्त पदों पर कार्यपालक सहायकों को गोदाम का प्रभार दे कर उनसे उठाव, वितरण एवं अधिप्राप्ति का कार्य लिया जा रहा है। निगम मुख्यालय के पत्रांक 11592 दिनांक 26.12.2013 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 एवं माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम लागू कर सफल क्रियान्वयन के लिए निगम के सभी गोदामों पर पुनः प्रबंध निदेशक के पत्रांक 11683 दिनांक 13.11.2014 के द्वारा कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की गई। निगम के पत्रांक 9955 दिनांक 04.11.2013 के द्वारा कार्ययोजना के तहत् पी0डी0एस0 एवं अधिप्राप्ति कार्यों हेतु सहायक प्रबंधकों के 635 एवं कार्यपालक सहायकों का 802 पद स्वीकृत किया गया। पुनः दिनांक 31.12.2013 को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से मात्र 122 सहायक प्रबंधकों की संविदा पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। जिसमें आरक्षण कोटिवार आवेदन

आमंत्रित किये गये। निगम मुख्यालय के पत्रांक 460 दिनांक 15.01.2014 द्वारा योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर आवेदन की तिथि 18.01.2014 तक बढ़ाई गयी। परन्तु आश्चर्यजनक ढ़ंग से वित्त विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 9147 दिनांक 04.09.2013 एवं 6655 दिनांक 21.07.2011 के द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया एवं आरक्षण मानक की अवहेलना करते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति, अतिपिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग आदि के रिक्त पदों पर बिस्कोमान एवं अन्य विभागों/निगमों के सामान्य कोटि के कर्मियों को जिनकी आयु 57 वर्ष से अधिक थी को भी सहायक प्रबंधक के पद पर आरक्षण रोस्टर का उल्लंघन करते हुए नियम के विरूद्ध प्रतिनियुक्त कर दिया गया।

अन्य विभागों या निगम से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मियों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 4618 दिनांक 14.12.2010 तथा पत्रांक 8322 दिनांक 10.06.2015 द्वारा जारी निर्देशों के विरूद्ध कार्यपालक सहायकों का भयादोहन एवं शोषण किया जाता है। कार्यपालक सहायकों द्वारा अपना कम्प्यूटर, प्रिंटर, मोडेम लगा कर कार्य किया जाता है। जिसका कोई खर्च विभाग द्वारा वहन नहीं किया जाता है। इसके बाबजूद कार्यपालक सहायकों द्वारा राज्य की 80 प्रतिशत जनता जिसमें किसान एवं मजदूर वर्ग के लोगों के लिए सरकार की अति महत्त्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अधिप्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को सफलता पूर्वक सम्पादित किया जा रहा है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिसूचना संख्या– 3024 दिनांक 26.05.2014, पत्रांक 1796 दिनांक 04.03.2011, पत्रांक 226 दिनांक 12.01.2012 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या– 8025 दिनांक 21.05.2013 के द्वारा नियमित बहाली में संविदा कर्मियों को अधिमानता एवं प्राथमिकता देते हुए नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। कार्यपालक सहायकों द्वारा वर्त्तमान में राज्य खाद्य निगम में विगत लगभग चार वर्षों से सफलता पूर्वक पूर्ण निष्ठा के साथ निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :–

- निगम के ऐसे गोदाम जहाँ पूर्णकालिक सहायक प्रबंधक नियुक्त नहीं हैं में प्रभारी सहायक प्रबंधक का कार्य।
- पूर्णकालिक सहायक प्रबंधकों को खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण में गोदाम सहायक के रूप में सहयोग प्रदान करना।
- भारतीय खाद्य निगम से विभिन्न योजनाओं के खाद्यान्न के उठाव हेतु उठाव प्रभारी का कार्य।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत अधिप्राप्ति कार्य में सहयोग एवं किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जिसका विगत चार वर्षों से सफलता पूर्वक निर्वहन।
- निगम के मुख्यालय (पटना) एवं जिला प्रबंधक के कार्यालयों में कार्यालय सहायक के रूप में कार्यालय से संबंधित दैनिक कार्यों का निष्पादन।
- ई–पी0डी0एस0 प्रोजेक्ट की सफलता हेतु दैनिक प्रतिवेदन एवं कम्पूटर से संबंधित अन्य सभी प्रकार के कार्य।
- जिला प्रबंधक एवं निगम के अन्य वरीय पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये सभी कार्य का ससमय सम्पादन।

भवदीय को यह भी सूचना देना चाहेंगे कि बिहार राज्य सरकार के अन्तर्गत पूर्व से ही कार्यपालक सहायक जैसे पद नियमित रही है जिसका वेतनमान निम्न है :–

(1) अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 1519 दिनांक 14.02.2013 द्वारा राज्य सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय के वर्ग– 03 एवं वर्ग– 04 के कर्मियों के वेतनमान एवं भत्तों में 01.04.2013 के प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसमें क्रमांक 07 पर निजी सहायक/ कार्यपालक सहायक का वेतनमान 5500–9000 की स्वीकृति प्रदान की गयी है (छाया प्रति संलग्न)।

(2) सरकार के सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक–1/पी0सी0आर0(विविध) 09–22/14–2860 दिनांक 19.12.2014 द्वारा डा0 अम्बेदकर फाउंडेशन, बिहार के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें इस फाउंडेशन के संचालन हेतु प्रस्तावित पदों की विवरणी प्रस्तुत की गयी है। उक्त विवरणी के क्रम 08 पर कार्यपालक सहायक के पद की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसे वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे–1900 की स्वीकृति दी गयी है (छाया प्रति संलग्न)।

(3) बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना (सामान्य प्रशासन विभाग) के शाषी परिषद् की दिनांक 11.03.2015 की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 244 दिनांक 23.03.2015 में कार्यपालक सहायकों को बेलट्रॉन के डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के समकक्ष मानदेय निर्धारित किया गया है। सूचना प्रावैधिकी विभाग के संकल्प संख्या वि0प्रा0(11)व2–06/2012– 974/पटना, दिनांक 19.04.2012 के द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ उपक्रमों /निकायों में कम्प्यूटर से संबंधित कौशल एवं योग्यता के आधार पर रूपये 4200/– मात्र के ग्रेड वेतन वैंड पीबी–2 में या उससे निम्न वेतनमान में सहायक प्रोग्रामर/आई0टी0 असिस्टेंट/ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर इत्यादि पदनामों से सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता समान निर्धारित की गई है। साथ हीं सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 21/एस0एस0सी0/40/2011 सा0प्र0 3719 दिनांक 19.03.2014 द्वारा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का पद स्नातक स्तरीय श्रेणी में रखा गया है।

इस प्रकार ईमानदारी, निष्ठा एवं परिश्रम पूर्वक सरकार/विभाग द्वारा निर्धारित हर कार्य को करने के बावजूद भी आज के बढ़ते इस मंहगाई के दौर में कार्यपालक सहायक अल्प मानदेय पर गुजारा करने हेतु विवश हैं तथा दिये जा रहे अल्प मानदेय में अपने परिवार के भरण–पोषण के साथ–साथ अपने बच्चों के बेहतर भविष्य/अच्छी शिक्षा हेतु उनरकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी असंभव है तथा कार्यपालक सहायकों की सेवा स्थायी नहीं होने के कारण कार्यपालक सहायकों के भविष्य के साथ–साथ उनके परिवार का भविष्य भी अन्धकारमय है साथ हीं उनके भविष्य पर इसका प्रतिकूल असर भी है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन है कि इस पत्र के सभी तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में संविदा पर नियोजित सभी कार्यपालक सहायकों की कार्पोरेशन के रिक्त पदों यथा सहायक प्रबंधक (लगभग–500पद), कार्यालय सहायक (लगभग– 100 पद) लेखा सहायक (लगभग–50 पद) पर बिना शर्त्त अतिशीघ्र नियमित/समकक्ष पद पर समायोजन करते हुए वेतनमान देने/दिलवाने की अनुशंसा करने की कृपा की जाय, ताकि कार्यपालक सहायक अपने परिवार के भरण–पोषण के साथ–साथ अपने बच्चों को बेहतर भविषय देते हुए सरकार की अनवरत सेवा कर सके।

अनुलग्नक :– पत्र में वर्णित पत्रों एवं संकल्पों की छाया प्रति

विश्वासभाजन,

12.07.2015

प्रदेश अध्यक्ष,
बिहार राज्य खाद्य निगम,
कार्यपालक सहायक संघर्ष समिति,
पटना।

बिहार राज्य खाद्य निगम, कार्यपालक सहायक संघर्ष समिति
माँग पत्र

बिहार सरकार के नियमों के आलोक में बनाये गये नियमावली के अन्तर्गत श्रीमान् के समक्ष हमारी निम्न माँगे हैं, जिसे निगम को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी :–

1. आरक्षण नियमों की अनदेखी कर प्रतिनियुक्त बिस्कोमान के कार्मिकों की सेवा वापस की जाय।
2. आपूर्ति निरीक्षकों की तरह ग्रामीण विकास विभाग/ अन्य विभागों/ निगम से प्रतिनियुक्ति पर लिए गये कर्मियों की सेवा उनके मूल विभाग में वापस की जाय। साथ हीं सेवा निवृत्त कर्मियों की सेवा अवधि विस्तार एवं संविदा पर नियुक्ति बन्द की जाय।
3. इस प्रकार से रिक्त सभी पदों यथा– सहायक प्रबंधक, कार्यालय सहायक, लेखा सहायक आदि के पदों पर शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के आधार पर बिना किसी शर्त्त के निगम में कार्यरत कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति किया जाय।
4. नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं वेतनमान लागू होने तक **Model human resource development policy for corporation/ Bodies/ societies establishment under the rules & law of govt. of Bihar** के अन्तर्गत विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2014 को सम्पन्न बैठक में निगमों/सोसाइटी/निकायों /उपक्रमों के विभिन्न क्रियाकलापों के साथ–साथ एच0आर0 पॉलिसी बनाने हेतु एच0आर0 पॉलिसी की विभिन्नता एवं असमान्ता दूर करने तथा भविष्य में उठने वाले विवादों/भ्रमों को दूर करने के उद्धेश्य से दिनांक 10.01.2015 को एच0आर0 मैनुअल समिति की आहूत बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में कार्यपालक सहायक को सम्वर्ग– 3 के कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। इस में कुल 338 पद का उल्लेख किया गया हैं। जिसमें क्रमांक 247 पर कार्यपालक सहायक का पद अंकित है इस पद के लिए 20,000 से 30,000/– मासिक **Minimum salary range / Contract amount** निर्धारित किया गया हैं। सेवा शर्त 60 वर्ष के साथ लागू किया जाय। सहज प्रसंग हेतु इसका अदलोकन वित्त विभाग की बेवसाइट पर किया जा सकता है।

5. वरीय पदाधिकारियों, क्रय केन्द्र प्रभारी, परिवहन अभिकर्त्ता एवं मिलरों की लापरवाही या गलती से निगम को अधिप्राप्ति या किसी अन्य योजना में हुई क्षति को कार्यपालक सहायक पर थोपकर की गई प्राथमिकी या अनुशासनिक कार्रवाई अविलम्ब वापस ली जाय एवं दोषी व्यक्ति को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

12.07.2015

प्रदेश अध्यक्ष,
बिहार राज्य खाद्य निगम,
कार्यपालक सहायक संघर्ष समिति,
पटना।

**ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।